

23-10-19

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपर दंड
पूर्वोक्त पत्रावली दि० 4-12-19 को पेश हो।

4-12-19

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा ने अपास्कट
होकर प्रा० फ० को जॉर्ज नदी बलाने हलु निवेदन
किया है एवं इस बाबत Not Press भी
किया है अतः शर्मा का प्रा० फ० Not Press
में खारिज किया गया। पत्रावली फंसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से काम हो। आदेश
रुले न्यायालय में सुनाया गया।

Not Press
Sharma

उप खण्ड अधिकारी
सीपर लेक

